यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय उपजिलाधिकारी, चमोली द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, चमोली के माह 05/2012 से 04/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री ललित थपलियाल व श्री सूर्य पाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 26.05.2017 से 29.05.2017 तक श्री पी.सी.श्रीवास्तव, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

## भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः तहसील, चमोली

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

| वर्ष | प्रारम्भिक अवशेष | | स्थापना | | गैर स्थापना | | आधिक्य (+) | बचत (-) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्थापना | गैर स्थापना | आवंटन | व्यय | आवंटन | व्यय | | |
| 2012-13 | - | - | 167.20 | 155.26 | 5.84 | 4.97 | - | - |
| 2013-14 | - | - | 192.00 | 190.66 | 7.40 | 6.82 | - | - |
| 2014-15 | - | - | 253.72 | 225.32 | 9.80 | 9.68 | - | - |
| 2015-16 | - | - | 253.40 | 239.88 | 13.12 | 11.59 | - | - |
| 2016-17 | - | - | 293.24 | 253.72 | 13.62 | 12.07 | - | - |

(ब) **Autonomous Bodies** की इकाईयों के विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थितिः निरंक।

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण -शून्य

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई श्रेणी 'सी' की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

| |
|---|
| मुख्य सचिव/अध्यक्ष राजस्व परिषद् |
| प्रमुख सचिव (राजस्व) |
| सचिव राजस्व/राजस्व आयुक्त |
| आयुक्त गढ़वाल मण्डल |
| अपर सचिव (राजस्व) |
| जिलाधिकारी |
| अपर जिलाधिकारी |
| उपजिलाधिकारी |
| तहसीलदार |
| नायब तहसीलदार |

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में वित्तीय लेन-देन एवं प्राप्तियों की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन उपजिलाधिकारी, चमोली की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2013, 03/2015, 03/2016 एवं 03/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 व 16, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II 'अ'

# शून्य

# भाग-II 'ब'

प्रस्तर-01 वसूली प्रमाण पत्र की धनराशी ₹ 05.19 लाख की वसूली का न किया जाना।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, चमोली के विभिन्न विभागों द्वारा जारी किये गये आर0सी0 से संबंधित आर0सी0 पंजिका तथा संबंधित पत्रावली की जांच में देखा गया कि वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक आर0सी0 की वसूलियां धनराशि ₹ 05.19 लाख अवशेष थी, जिनका विवरण निम्न है-

(धनराशि ₹ में)

| वित्तीय वर्ष | आर.सी. की वसूली हेतु अवशेष धनराशि |
|---|---|
| 2012-13 तक | 243453 |
| 2013-14 तक | 133436 |
| 2014-15 तक | 365964 |
| 2015-16 तक | 310137 |
| 2016-17 तक | 519568 |

संप्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया कि वित्तीय वर्ष के अन्त में अवशेष धनराशि को अगले वित्तीय वर्ष में बकाया के रुप में वसूल किया जाता है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वित्तीय वर्ष के समाप्ति पर शीघ्र ही आर0सी0 की धनराशि वसूल कर ली जानी चाहिए।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर-02 कार्यदायी संस्था की उदासीनता के कारण निर्माण कार्य पर रु 230.90 लाख का निष्फल व्यय।

शासनादेश संख्याः-26/18(1)/2006 दिनांक 03.02.2006 के द्वारा ₹ 230.90 लाख की वित्तीय स्वीकृति तहसील चमोली में आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु प्रदान की गई, जिसमें से ₹ 230.90 लाख कार्यदायी संस्था "उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, श्रीनगर इकाई-2" को विभिन्न किस्तों में अवमुक्त कर दिया गया, जिनका विवरण निम्न है-

| शासनादेश संख्या | अनुमानित लागत | अवमुक्त धनराशि | वितरण आदेश |
|---|---|---|---|
| 26/18(1)/2006 दिनांक 03.02.2006 | 230.90 | 15.00 | 4245/IX-20(2002-03) दिनांक 16.05.2006 |
| | | 10.00 | 5531/IX-20(2002-03) दिनांक 21.07.2006 |
| 26/18(1)/2006 दिनांक 22.03.2007 | | 50.00 | 2730/IX-20(2002-03) दिनांक 28.03.2007 |
| 288/18(1)/2006 दिनांक 14.03.2008 | | 30.00 | 4133/IX-56(2004-05) दिनांक 09.04.2008 |
| | | 10.00 | 3098/IX-55(2007-08) दिनांक 25.03.2009 |
| 139/18(1)/2011-01/2008 दिनांक 29.03.2011 | | 92.38 | 5815/IX-55(2007-08) दिनांक 29.03.2011 |
| 1696/18(1)/2011-01/2008 दिनांक 26.12.2011 | | 23.52 | 2589/IX-55(2007-08) दिनांक 07.01.2012 |
| योग | | 230.90 | |

कार्यदायी संस्था को दिनांक 07.01.2012 तक सम्पूर्ण स्वीकृत धनराशि अवमुक्त कर दिये जाने के बावजूद निर्माण कार्य विलम्ब से (अगस्त 2015) प्रारम्भ हुआ एवं लेखापरीक्षा अवधि में निर्माण कार्य अपूर्ण एवं बन्द अवस्था में पाया गया। दिनांक 31.07.2016 की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन में भौतिक प्रगति 60% एवं वित्तीय प्रगति 91% दिखायी गयी है।

उपजिलाधिकारी, चमोली द्वारा कार्यदायी संस्था से इस संबंध में पत्राचार (पत्रांकः719/वै0सहा0-2016 चमोली, दिनांक 19.12.2016 एवं पत्रांकः 26/वै0सहा0-2016 चमोली, दिनांक 10.01.2017) किया गया, परन्तु कोई प्रत्युत्तर न मिलने पर जिलाधिकारी, चमोली (गोपेश्वर) को पत्रांकः33/वै0सहा0-रा0आ0भ0नि0/2016-17चमोली, दिनांक 18.02.2017 के द्वारा उचित दिशा-निर्देश एवं मार्गदर्शन प्रदान करने एवं उचित कार्यवाही हेतु आग्रह किया गया।

संप्रेक्षा द्वारा इससे संबंधित अभिलेख प्रस्तुत किये जाने हेतु पूछे जाने पर इकाई ने उत्तर दिया कि संबंधित अभिलेख कार्यदायी संस्था से एवं जिलाधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किये जायेंगे।

कार्यदायी संस्था की उदासीनता के कारण निष्फल व्यय का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

# भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या | भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या | प्रस्तर का विवरण |
|---|---|---|---|
| इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा | | | |

# <u>भाग-**IV**</u>

## इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु उपजिलाधिकारी, चमोली तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- शून्य
2. सतत् अनियमितताएः शून्य
3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः

| क्र.सं. | अधिकारी का नाम | पदनाम | कार्यरत समय अवधि | |
|---|---|---|---|---|
| | | | कब से | कब तक |
| 1. | मोहम्मद नाजिर | उपजिलाधिकारी | 12.12.2011 | 05.06.2012 |
| 2. | श्री अवधेश कुमार सिंह | उपजिलाधिकारी | 06.06.2012 | 13.07.2015 |
| 3. | श्री योगेन्द्र सिंह | उपजिलाधिकारी | 13.07.2015 | 29.07.2015 |
| 4. | श्री मंगेश घिल्डियाल | उपजिलाधिकारी | 29.07.2015 | 10.10.2015 |
| 5. | श्री राम जी शरण शर्मा | उपजिलाधिकारी | 26.10.2015 | 12.04.2016 |
| 6. | श्री अनिल कुमार चन्याल | उपजिलाधिकारी | 12.04.2016 | 01.10.2016 |
| 7. | श्री योगेन्द्र सिंह | उपजिलाधिकारी | 01.10.2016 | 21.11.2016 |
| 8. | श्री अभिषेक रूहेला | उपजिलाधिकारी | 21.11.2016 | 16.05.2017 |
| 9. | श्री योगिन्द्र सिंह | उपजिलाधिकारी (कार्यकारी) | 16.05.2017 | वर्तमान तक |

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय उपजिलाधिकारी, चमोली को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार (सामान्य क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
सामान्य क्षेत्र